उद्देश्य और कारणों का विवरण

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में नगर पालिका सीमा में और उसके आस पास नियंत्रित क्षेत्र को अधिसूचित करने का प्रावधान है। इसके अलावा नगर पालिकाआंे के आस पास बेतरतीब विकास को विनियमित करने के लिए पंजाब अनुसुचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 के तहत नियंत्रित क्षेत्रों कीे घोषणा और ऐसे नियंत्रित क्षेत्रों के लिए विकास योजना के प्रकाशन का प्रावधान है। नगर पालिका शहर के भीतर का क्षेत्र हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 द्वारा शासित और विनियमित किया जाता है। क्षेत्र की एकीकृत योजना के उद्ेश्य से 1963 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्रांे और विकास योजनाआंे के प्रस्तावों को नगर पालिका सीमा में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत अपनाया गया है।

नियंत्रित क्षेत्रो व विकास योजनाओं के उपरोक्त स्थिति के साथ मौजूदा शहर को विकास योजना में विभिन्न शब्दों जैसे कि 'मौजुदा शहर '/कोर एरिया/पुराना शहर आदि का प्रयोग द्वारा दर्शाया जाता है। चूकिं, 'मौजुदा शहर ' बेतरतीब ढंग से विकसित हुए है, इसलिए मौजुदा शहरों में विकास योजना में कोई भूमि उपयोेग को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा, जहां नियत्रितं क्षेत्र नगर पालिका सीमा के चारों तरफ घोषित किए गए है, उक्त नगर पालिका सीमा के भीतर खाली पड़े क्षेत्रों को विकास योजनाओं में विभिन्न भूमि उपयोगों नियत किया गया है, जो कि केवल सलाहकार प्रवृति के है क्योंकि 1963 के अधिनियम के प्रावधान इन क्षेत्रों में लागू नहीं होते।

इसके अलावा, मौजूदा शहर या कोर क्षेत्र, जो मुल रूप से मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र है, को न तो पंजाब अनुसुचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 और न ही हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में परिभाषित किया गया है। पारंपरिक रूप से नगर पालिकाएं में भवन योजनाओं को कोर क्षेत्रों में मंजूर करते हुए इसे मिश्रित भू उपयोग प्रकृति का मानती है परंतु किसी भी अधिनियम में कोर क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार कोर क्षेत्र और मिश्रित भूमि उपयोगों पर कोई स्पष्टता नहीं है। इससे ऐसे क्षेत्रों में विकास योजनाओं के प्रस्तावों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की शब्दावली जैसे कि 'मौजुदा शहर '/कोर एरिया/पुराना शहर आदि के कारण भ्रम उत्पन्न होता है।

अतः इस भ्रम को दुर करने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन के द्वारा कोर क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए कोर क्षेत्र की परिभाषा और मिश्रित भू उपयोग संबन्धी प्रावधान कोर क्षेत्र में करने की आवश्यकता है।

(कमल गुप्ता)

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा